विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-03/14</u>

श्री रामसिया पटेल वल्द रामसखा पटेल, — आवेदक
साऊथ सिविल लाईन, डिफेन्स कॉलोनी,
पी.डब्ल्यू.डी. क्वा. 615/2, जबलपुर एवं
अन्य ए.पी.आर. कालोनी, माढ़ोताल,
जबलपुर (म.प्र.) – 482002

विरूद्ध

(1) कार्यपालन यंत्री (संचा. संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

(2) सहा0/कनिष्ठ यंत्री (वितरण केन्द्र),
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
माढ़ोताल (म.प्र.) – 482002 — अनावेदकगण

आदेश
(दिनांक 13.05.2015 को पारित)

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक 72/2013 श्री रामसिया पटेल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

02. उपभोक्ता की ओर से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर में शिकायत प्रस्तुत की गई थी । शिकायत प्रकरण क्रमांक 72/2013 में पारित आदेश दिनांक 30.03.13 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर उसे प्रकरण क्रमांक L0032013 में पंजीबद्ध किया गया था । इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत को फोरम को इस निर्देश

के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि उपभोक्ता की शिकायत से संबंधित 3 बिन्दुओं पर गुण–दोषों के आधार पर निष्कर्ष किया जाकर आदेश पारित किया जाए, वह बिन्दु निम्नानुसार थे :–

(1) क्या उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जो राशि बकाया बताई जा रही है उस राशि को वसूल पाने का अधिकार विद्युत वितरण कम्पनी को है ? ।

(2) क्या उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी से स्थाई कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार है ?।

(3) क्या उपभोक्ता वांछित क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? ।

03. फोरम ने उभयपक्ष को सुने जाने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत खपत के आधार पर बिल दिए गए हैं, अतः उसे वसूल पाने का अधिकार उसे है । फोरम ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता स्थाई कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

04. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि फोरम का आदेश तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

05. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :** क्या फोरम का आदेश उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

06. फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा उसके समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका अवलोकन किया गया । फोरम ने **बिन्दु क्रमांक – 1** के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है कि प्रतिवादी अर्थात् अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी ने वादी से वसूल की गई राशि 51338 का विवरण दिया है, जिसकी प्रतिलिपि उपभोक्ता को दी गई है । उक्त विवरण का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की गई राशि विधि अनुसार है । अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत खपत के आधार पर बिल की राशि वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । फोरम के उक्त निष्कर्ष से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की गई राशि का विवरण दिया गया था और उक्त विवरण की प्रति उपभोक्ता को दी गई थी । फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय उपभोक्ता की ओर से ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विवरण में दी गई जानकारी के औचित्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है । अनावेदक

की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा लिखित तर्क में इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया जाता कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की गई राशि का जो विवरण दिया गया था वह विद्युत खपत पर आधारित नहीं है या विधि अनुसार नहीं है । उपभोक्ता की ओर से जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है और जो लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उस पर फोरम द्वारा दिए गए निष्कर्ष की वैधता को स्पष्ट रूप से चुनौती दिए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में बिन्दु क्रमांक – 1 के संबंध में फोरम के द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अतः इस बिन्दु के संबंध में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

07. **बिन्दु क्रमांक – 2 :** उपभोक्ता की ओर से फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 8766/2013 प्रस्तुत की थी। उक्त याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2013 के अनुसरण में उपभोक्ता को अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था । मूल रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय का क्या आदेश हुआ इसकी जानकारी उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः यह स्पष्ट होता है कि मूल रिट याचिका अभी तक माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है । उपभोक्ता स्थाई विद्युत कनेक्शन पाने का अधिकारी है या नहीं ? यह तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन है । अतः प्रश्नगत रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में ही उपभोक्ता को विद्युत का स्थाई कनेक्शन दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है । अतः इस बिन्दु के संबंध में फोरम ने जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष में भी हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, अतः इस बिन्दु के संबंध में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

08. **बिन्दु क्रमांक – 3** के संबंध में फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को शारीरिक, मानसिक परेशानी का सामना खुद की लापरवाही के कारण करना पड़ा है, उसके द्वारा अनावेदक को मीटर की कास्ट एवं टी.सी. का बकाया भुगतान नहीं किया गया है । इसे स्थाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी उसके द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की गई है । विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस संबंध में उसे कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । फोरम द्वारा दिए गए उक्त निष्कर्ष के संबंध में उपभोक्ता द्वारा जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है और लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनका अवलोकन करने से ऐसा कोई आधार नहीं पाया जाता जिससे उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होना पाया जाए । उपभोक्ता ने जिन तथ्यों के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की मांग की है उन तथ्यों के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का

प्रावधान संबंधित अधिनियम अथवा संहिता में है, ऐसा कोई उदाहरण उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अतः इस बिन्दु के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, अतः उपभोक्ता द्वारा इस बिन्दु के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

: निष्कर्ष :

09. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार न पाए जाने से उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

10. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल